

(13)

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर०एम०ए०० नं०-41/2003

सुरेश हेम्रम प्रधान एवं अन्य

बनाम

राहिल सोरेन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
28.11.2011	अपीलकर्ता के द्वारा यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 18.08.2003 को रेम० मिस केस नं०-135/2001-02 156/2002-03 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। अपील वाद मौजा-सिजुआ, थाना-आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं०-19 का रकवा 90-19-05 धूर जमीन को फौती घोषित करने के संबंध में है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में निम्नरूपेण तथ्यों का उल्लेख किया गया है :- अपीलकर्ता के द्वारा मौजा-सिजुआ, थाना-आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं०-19 का रकवा 90-19-05 धूर जमीन को फौती घोषित कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा के भूमिहीन रैयतों के बीच बन्दोवस्ती करने हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा द्वारा दिनांक 11.06.2003 को प्रतिवेदन दिया गया था। उत्तरार्थी के द्वारा एक आपत्ति आवेदन दिया गया था कि आर० ई०आर० केस नं०-39/34-35 के तहत लोदो हेम्रम को वर्णित जमीन प्राप्त हुआ है। उक्त लोदो हेम्रम का पोता ज्योतिन हेम्रम वर्णित जमीन का दखलदार है एवं खजाना दे रहे हैं। अपीलकर्ता के लिखित बहस में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खजाना रसीद एवं दखल के आधार पर खतियानी रैयत का दावेदार माना नहीं जायेगा। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दखल के बिन्दु पर पारित आदेश को गलत बताया गया है। इनका कहना है कि आपत्तिकर्ता (उत्तरार्थी) अन्तिम सेटलमेन्ट के अनुसार मौजा-सिजुआ के जमाबन्दी नं०-39 एवं 40 के खतियानी रैयत राजाई हेम्रम का हिस्सेदार है न कि लोदो हेम्रम का हिस्सेदार है। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन में लोदो हेम्रम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनका यह भी कहना है कि उत्तरार्थी द्वारा वर्णित जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया गया है और न ही जमीन के दखल कब्जे में है।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2 वर्तमान जमीन खतियानी रैयत नारायण किस्कू के नाम से ही चल रहा है। इनके द्वारा अपील को मंजूर करते हुए वर्णित जमीन को भूमिहीन रैयतों के बीच बन्दोवस्ती के संबंध में अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा को प्रस्ताव भेजने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है। उत्तरार्थी के द्वारा अपने लिखित बहस में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये हैं :- उत्तरार्थी ने अपने लिखित बहस में दिया है कि मौजा-सिजुआ, थाना-आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं०-19 अन्तिम सेटेलमेन्ट में खतियानी रैयत नारायण किस्कू है। वर्ष 1934-35 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर०ई०आर० केस नं०-39/1934-35 में दिनांक 12.07.1935 को पारित आदेश में नारायण किस्कू को वर्णित जमीन से उच्छेद करते हुए जमाबन्दी नं०-19 के सम्पूर्ण जमीन लोदो हेम्ब्रम उर्फ राजाई हेम्ब्रम, मौजा-सिजुआ, थाना- आमड़ापाड़ा के साथ बन्दोवस्त किया गया है। जिस पर लोदो हेम्ब्रम को न्यायालय द्वारा दखल भी दिलवाया गया है एवं दखलकार है। लोदो हेम्ब्रम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र किसून हेम्ब्रम वर्णित जमीन का दखलकार है एवं किसून हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ज्योतिन हेम्ब्रम वर्णित जमीन का हिस्सेदार बने हैं। ज्योतिन हेम्ब्रम का पुत्र नहीं था मात्र तीन लड़की कनकलता, पुष्पलता एवं प्रेमलता जिसमें कनकलता एवं पुष्पलता की घरजमाई शादी दी गई है। ज्योतिन हेम्ब्रम अपने जीवित काल में वर्णित जमाबन्दी नं०-19 के 32-15-06 घुर जमीन उनके अविवाहित पुत्री प्रेमलता हेम्ब्रम को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रेम०मिस केस नं०-100/94-95 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन पर ही दी गई है। दिनांक 09.11.2002 को ज्योतिन हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद उनके पत्नी राहिल सोरेन एवं पुत्री कनकलता, पुष्पलता एवं प्रेमलता को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। उत्तरार्थी के द्वारा नियमित लगान दिया जा रहा है एवं जमीन का भोग-दखल करते आ रहे हैं। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा बिना सही जांच किये ही प्रतिवेदन दिया गया है। अपीलार्थी का कहना कि लोदो हेम्ब्रम एवं राजाई हेम्ब्रम एक ही व्यक्ति है। वर्ष 1966 के वोटर लिस्ट में किसून हेम्ब्रम का पिता लोदो हेम्ब्रम एवं वर्ष 1983 के वोटर लिस्ट में किसून हेम्ब्रम के पिता राजाई हेम्ब्रम अंकित है, जो लोदो हेम्ब्रम एवं राजाई हेम्ब्रम एक ही व्यक्ति है। अन्त में कहा गया है कि वर्णित जमीन लोदो हेम्ब्रम उर्फ राजाई हेम्ब्रम को वर्ष 1935 में बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-सिजुआ, थाना-आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं०-19 में वर्णित जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर०ई०आर० केस नं०-39/1934-35 में दिनांक 12.07.1935 को खतियानी रैयत नारायण किस्कू वगैरह को उच्छेद करते हुए लोदो हेम्रम के साथ बन्दोबस्ती की गई है तथा 21.10.1935 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा वर्णित जमीन लोदो हेम्रम को दखल भी दिलवाया गया है। वर्णित जमीन में से 32-15-06 धूर जमीन अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के प्रतिवेदनानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पूरक रेभ०मिस वाद सं०-100/94-95 में दिनांक 11.07.1997 के द्वारा उत्तरार्थी नं०-4 प्रेमलता हेम्रम पुत्री स्व०-ज्यातिन हेम्रम के पक्ष में जमीन को दान में देने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि वर्णित जमीन का खतियानी रैयत नारायण किस्कू का दावा वर्षों पूर्व खत्म हो चुका है। इसलिए अपीलार्थी का उत्तरार्थी को खतियानी रैयत नहीं होने के संबंध में आपत्ति बिल्कूल निराधार है। चूंकि उत्तरार्थीगण लोदो हेम्रम का वारिसान है। इसलिए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपोयुक्त, पाकुड़। उपोयुक्त, पाकुड़।	12.12.2011 18/1/2012